बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक की कार्यवाही

बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में **दिनांक–09.09.2024 को अपराह्न 03:00** बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं फिजिकल मोड के माध्यम से सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव, बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं प्राधिकरण के सभी सदस्यों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े अन्य आमंत्रित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उनसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के वर्त्तमान बैठक के प्रयोजन के बारे में बताया गया।

कार्यावली (क): प्राधिकरण की तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन।

तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में सदस्य सचिव, बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया। माननीय विभागीय मंत्री द्वारा तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों के अपेक्षित अनुपालन की स्थिति पर निदेश दिया गया।

प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया गया है कि एजेंडा–4 के संबंधित कार्यवाही में तालिका के रूप में शेष आर्द्रभूमियों की समस्या तैयार की जाय। इन आर्द्रभूमियों को जिलावार सूची Ground issue के साथ संबंधित वन प्रमंडल से प्राप्त कर सरकार को सूचित किया जाय, ताकि सरकार के स्तर से संबंधित जिला पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु भेजा जा सके।

कार्यावली (ख): बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक का निर्णयः–

1. 33 आर्द्रभूमियों की संक्षिप्त दस्तावेज, स्वास्थ्य कार्ड एवं आर्द्रभूमि मित्र तैयार करने हेतु प्रस्ताव।

सदस्य सचिव, बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा 100 हे० से बड़े 33 आर्द्रभूमियों की संक्षिप्त दस्तावेज, स्वास्थ्य कार्ड एवं आर्द्रभूमि मित्र तैयार करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष रखा गया।

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

2. 36 आर्द्रभूमियों को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत् अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी। सचिव महोदया के द्वारा संबंधित वन प्रमंडल से उन आर्द्रभूमियों का राजस्व बंदोबस्ती से संबंधित प्रतिवेदन जिला मत्स्य पदाधिकारी से प्राप्त करते हुए अतिक्रमण के संबंध में DGPS सर्वे के माध्यम से Boundary Demarcation कराने हेतु निदेश दिया गया। इसकी विवरणी जिला स्तरीय आर्द्रभूमि समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

3. राज्य के 02 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों सरोत्तर झील (मोतिहारी) एवं नरसन चौर (तिरहुत) को रामसर साईट घोषित करने हेतु कार्रवाई करने का प्रस्ताव।

रामसर साईट घोषित करने हेतु उपरोक्त दो आर्द्रभूमियों के प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी, परन्तु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले उक्त आर्द्रभूमियों का भौतिक स्वरूप, आन्तरिक स्वरूप, इनलेट–आउटलेट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रेषित किया जाय।

4. राज्य के 03 आर्द्रभूमियों देवखल चौर (समस्तीपुर), बाघरबील (कटिहार), हल्दीया चौर (सारण) को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत् अधिसूचित किये जाने हेतु अधिसूचना प्रारूप पर बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी।

5. सारण वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित आर्द्रभूमियों यथा– दाह पुरैना चौर, डुमरी बुजुर्ग चौर एवं दिघी चौर को अधिसूचित किये जाने हेतु संबंधित आर्द्रभूमियों का Brief document पर अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी।

6. बेगूसराय वन प्रमंडल अन्तर्गत कॉवरताल आर्द्रभूमि, रामसर साईट की समेकित प्रबंधन योजना प्रारूप पर प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव।

बेगूसराय वन प्रमंडल अन्तर्गत कॉवरताल आर्द्रभूमि का WISA, New Delhi द्वारा तैयार किये गये समेकित प्रबंधन योजना को प्रस्तावित राशि के साथ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया। NPCA के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान हेतु मंत्रालय को भेजा जाय।

7. राज्य में वन प्रमंडल स्तर पर नामित किये गये Wetland Mitra को और अधिक प्रशिक्षित किये जाने हेतु पटना में एक कार्यशाला का आयोजन कराये जाने का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी।

8. राज्य के महत्वपूर्ण 06 आर्द्रभूमियों की समेकित प्रबंधन योजना तैयार किये जाने हेतु प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर प्रमुख शोध संस्थान यथा–ZSI, Kolkata, CDA, Bhubaneswar, WII-SAICON, NCSCM, GIZ एवं WISA, New Delhi के द्वारा समेकित प्रबंधन योजना तैयार किये जाने हेतु प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी। सचिव महोदया द्वारा सुझाव दिया गया है कि इन एजेंसी को पहले Empanel करते हुए Limited Tender के माध्यम से कार्य हेतु चयन किया जाय।

9. चतुर्थ कृषि रोड मैप (DPR-08) के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर से बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के लिए GIS Expert, Wetland Expert, Finance Expert एवं Technical Assistant को संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।

NMCG परियोजना अन्तर्गत कार्यरत GIS Analyst को चतुर्थ कृषि रोड मैप (DPR-08) के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर जलवायु परिवर्तन संभाग के लिए GIS Expert पद पर सम्परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी।

शेष पदों के बारे में नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

10. माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्यान्य मामला।

(a) अन्य 03 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों मोनिकामन (तिरहुत), सुनकी सुईया भागड़ (भोजपुर) एवं कढ़िओ चौर (बेगूसराय) को रामसर साईट घोषित करने हेतु कार्रवाई करने का प्रस्ताव।

रामसर साईट घोषित करने हेतु उपरोक्त तीन आर्द्रभूमियों के प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी, परन्तु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले उक्त आर्द्रभूमियों का भौतिक स्वरूप, आन्तरिक स्वरूप, इनलेट–आउटलेट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रेषित किया जाय।

(b) अन्य 04 आर्द्रभूमियों का समेकित प्रबंधन योजना प्रमुख शोध संस्थान यथा–ZSI, Kolkata, CDA, WII-SACON, NCSCM, Chennai एवं WISA, New Delhi के द्वारा तैयार किये जाने हेतु प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर प्रमुख शोध संस्थान यथा–ZSI, Kolkata, CDA, Bhubaneswar, WII-SAICON, NCSCM, GIZ एवं WISA, New Delhi के द्वारा समेकित प्रबंधन योजना तैयार किये जाने हेतु प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी। सचिव महोदया द्वारा सुझाव दिया गया है कि इन एजेंसी को पहले Empanel करते हुए Limited Tender के माध्यम से कार्य हेतु चयन किया जाय।

(c) MIS Based आर्द्रभूमियों का Groundthruthing किये जाने का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी। सचिव महोदया द्वारा सूचित किया गया है कि इस संबंध में अन्य राज्यों में किये जा रहे कार्य का अध्ययन कर लिया जाय, तदोंपरान्त अलग से संचिका में आदेश प्राप्त किया जाय।

(d) द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बिहार राज्य आर्द्रभूमि शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव।

आर्द्रभूमि शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को प्रारंभ करने की तैयारी की जाय। इस हेतु अविलम्ब Integrated Plan तैयार कर पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव को संसूचित करते हुए पुनः सरकार को भेजा जाय।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव/मंतव्य भी दिये गये हैं :-

(i) ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े प्रतिनिधि के द्वारा पश्चिम चम्पारण जिले के अन्य आर्द्रभूमियों का समेकित प्रबंधन योजना तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया।

(ii) डॉ० रितेश कुमार, WISA के द्वारा Knowledge Partner के रूप में कार्य करने, प्रशिक्षण देने का इच्छा व्यक्त किया गया।

(iii) सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के द्वारा जानकारी दी गयी की 07 आर्द्रभूमियों के जल गुणवत्ता की जाँच की गयी है, जिसमें दो आर्द्रभूमियों में BOD के निर्धारित/अनुमय सीमा से अधिक पायी गयी। उनके द्वारा Sewage treatment plant बनाने की आवश्यकता के संबंध में विचार दिया गया।

(iv) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक के द्वारा इन्द्रपुरी बराज एवं ओढ़नी डैम को अगला चरण में रामसर साईट प्रस्ताव में शामिल करने का सुझाव दिया गया।

(v) विभागीय सचिव महोदया द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

- जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि संभाग के अन्तर्गत गठित GIS Cell से नक्शा इत्यादि तैयार करने में प्रगति लायी जाय।
- बेगूसराय वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित कॉवरताल आश्रयणी से लंबित भूमि विवाद के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, बकरी एवं Manjhaul के साथ विभागीय सचिव महोदया के स्तर से एक बैठक आहुत किये जाने का निदेश दिया गया।

(vi) माननीय विभागीय मंत्री द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

- पूर्व की तीन बैठकों में लिये गये निर्णय का अनुपालन आवश्यक है।

- नियमित बैठक आयोजित की जाय तथा समीक्षा कर समस्या का निराकरण किया जाय।
- निर्णय का ससमय अनुपालन किया जाय।
- प्राधिकरण के अन्य विभाग के संबंधित सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाय।
- आर्द्रभूमियों की जमीन / चौहद्दी की जानकारी प्राप्त की जाय।
- आर्द्रभूमियों के इनलेट तथा आउटलेट खोलने के संबंध में कार्रवाई की जाय।
- प्रबंधन हेतु प्रथम चरण में 100 हे० से अधिक क्षेत्रफल वाले आर्द्रभूमि का चयन किया जाय।
- प्रत्येक आर्द्रभूमि पर विभाग का Signage बोर्ड लगाया जाय।
- नागी–नकटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है इसे ध्यान में रखते हुए वहां अतिरिक्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय।
- आर्द्रभूमियों के किनारे वृक्षारोपण कराया जाय।
- **चतुर्थ कृषि रोड मैंप अन्तर्गत अनुशंसाओं के आधार पर सभी वन प्रमंडल से प्रस्ताव प्राप्त कर सरकार स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए यथाशीघ्र कार्य की जाय।**
- पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन विभाग के साथ संयुक्त बैठक आहुत की जाय।
- आर्द्रभूमियों के समेकित प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से आवंटन प्राप्त किया जाय।

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण,
बिहार

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार

अध्यक्ष,
बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण,
(माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार)